चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों के कब्जे से 90 क्वार्टर देशी व 38 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मयंक कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी इन्द्रानगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 45 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अमित सोनकर पुत्र रामकृपाल सोनकर निवासी गोस्वामी नगर कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव कुमार तिवारी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त भरतलाल पुत्र विरकी निवासी डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 28 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iv).उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना बहिलपुरवा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामप्रताप कोल पुत्र भोंडा कोल निवासी बिजहना कोलान मजरा बड़ी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(v). उ0नि0 यूटी0 श्री हर्शित मिश्रा थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मुन्ना पुत्र स्व0 जुलाहर निवासी दुधबनिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i).उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही आरक्षी दीपेश यादव द्वारा मु0नं0 286/2020 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मबाबू त्रिपाठी पुत्र रामआसरे त्रिपाठी निवासी ग्राम सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना मऊ द्वारा मु0नं0 15/2020 धारा 323,354,452,504,506 भादवि0 व 3(2)5 व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त शनि तिवारी पुत्र चन्द्रिका तिवारी निवासी यमुना रोड कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). आज दिनांक 04.05.2024 को लोकसभा सामान्य चुनाव-2024 के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा एवं क्षेत्राधिकार राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी की उपस्थिति में थाना सरधुवा के ग्राम हस्ता में जन-चौपाल का आयोजन कर लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र/निर्भीक, निष्पक्ष एवं अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों से उनकी समस्याएं पूछी गई एवं निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया

गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।